20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

नामांतरण अपील वाद सं0-01/2017-18

विष्णु दयाल शर्मा बनाम ब्रहमानन्द शर्मा

आदेश

3-07-18

यह अपील वाद श्री विष्णु दयाल शर्मा पिता स्व0 रामचन्द्र शर्मा निवासी--138/ए. रुकमनी सदन, छोटा गम्हरिया, पो0-गम्हरिया, थाना-गम्हरिया जिला-सरायकेला-खरसावाँ के द्वारा अंचल अधिकारी गम्हरिया द्वारा नामांतरण वाद सं0-1069/15-16 में दिनांक 18.11.2015 को पारित आदेश विरुद्ध दायर किया है।

अपील दायर करने में विलम्ब होने के फलस्वरुप लिमिटेशन एक्ट (Limitation Act) की धारा 5 के अन्तर्गत अलग से आवेदन पत्र दिये है।

अपील सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया तथा निम्न न्यायालय से संबंधित अभिलेख की मांग किया गया और उत्तरवादी को सूचना दी गई।

अपीलार्थी के अनुसार मौजा-छोटा गम्हरिया, थाना नं0-67 के खाता नं0 23 के अन्तर्गत प्लॉट नं0 905 के आंशिक रकवा 0.01 एकड़ भूमि उनके पिता स्व0 राम चन्द्र शर्मा का स्वअर्जित भूमि सम्पति है। जिस पर उनके पिता द्वारा दो मंजिला आवासीय मकान बनवाया गया है तथा उनके पिता एवं माता का स्वर्गवास हो चुका है। वर्तमान में अपीलार्थी एवं उत्तरवादी दोनों अपने पिता द्वारा बनाये आवास पर रहते है। अपीलार्थी का कहना है कि उनके पिता स्व0 राम चन्द्र शर्मा के मृत्योपरांत उनके दो पुत्र ब्रहमानन्द शर्मा (उत्तरवादी) एवं विष्णुदयाल शर्मा (अपीलार्थी) तथा तीन पुत्रियाँ यथा श्रीमति चिन्ता शर्मा, श्रीमति मोहिता शर्मा तथा श्रीमति स्वेता शर्मा कानून उत्तराधिकारी है एवं पैतृक सम्पति का विधिक स्वामी है। अपीलार्थी का कहना है कि तीनों बहनों का विवाह हो चुका है और वे अपने-अपने ससुराल में रहते है। उन्होंने कहा कि विवाहित प्रश्नगत भूमि/मकान पर दोनों भाई अपीलार्थी एवं उत्तरवादी समान-समान हिस्से में परिवार के साथ रहते है और पुरे संयुक्त स्वामित्व के अधीन है।

उन्होंने कहा कि संयुक्त स्वामित्व के आवासीय भूमि मकान को अंचल अधिकारी गम्हरिया ने नामांतरण वाद सं0-1067/15-16 में दिनांक 18.11.15 को पारित आदेश के द्वारा उत्तरवादी के एक मात्र उत्तराधिकारी घोषित कर नामांतरण की स्वीकृति होने में उत्तराधिकारी कानून का अनदेखा किये है तथा कानून का अवहेलना किये है। उनका कहना है कि अंचलाधिकारी गम्हरिया ने उत्तराधिकारी नामांतरण की प्रक्रिया एवं नियम का अनदेखा कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किये, यह निरस्त योग्य है। अतः नामांतरण वाद सं0-1067/15-16 में दिनांक 18.11.15 को पारित आदेश को निरस्त किया जाय।

उत्तरवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उनके पिता के देहान्त के पश्चात दोनों भाई अलग-अलग रहते है और प्रश्नगत भूमि/मकान उनके हिस्से का है, जो

Scanned with CamScanner

दोनों भाई के बीच आपसी बँटवारा में प्राप्त हुआ है। इस संबंध में शपथ पत्र अपीलार्थीओं द्वारा दिया गया तथा पारिवारिक बंटननामा प्रस्तुत किये है। अतः अंचल अधिकारी गम्हरिया द्वारा नामांतरण वाद सं0-1067/15-16 में पारित आदेश पूर्णत विधि सम्मत है और अपीलार्थी का आवेदन मात्र परेशान करने के लिए जानबुझ कर प्रस्तुत किये जो अस्वीकार करने योग्य है।

दोनों पक्षों के तर्को एवं प्रस्तुत दस्तावेज और निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी एवं उत्तरवादी के पिता के नाम पर प्रश्नगत भूमि एवं मकान है। जिस पर दोनों भाई रहते है। दोनों भाईयों में विधिवत बँटवारा नहीं हुआ है इसलिए एक ही पुत्र के नाम पर उत्तराधिकारी नामांतरण की स्वीकृति देकर अंचल अधिकारी, गम्हरिया ने नियम एवं प्रक्रिया का पालन करने में विफल हुए है। ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा नामांतरण वाद सं0-1067/15-16 में दिनांक 18.11.15 को पारित आदेश को निरस्त की जाती है एवं अंचल अधिकारी, गम्हरिया को आदेश दिया जाता है कि पंजी-II में आवश्यक सुधार अंकित करें।

तद्नुसार अपील आवेदन स्वीकार किया जाता है।

लेखापित

23/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

23/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner